



संख्या नं. ए० डी०—४

साहसिका सं० डब्ल्यू० पी०—४१

(साहसिक टू पोस्ट विद्यालय प्रीपेमेंट)

12

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रेवार, 14 अक्टूबर, 1988

आश्विन 22, 1910 शक-सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1943/सत्रह-वि-1-1 (क) 22-1988

लखनऊ, 14 अक्टूबर, 1988

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1988 पर दिनांक 14 अक्टूबर, 1988 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1988 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन)
(संशोधन) अधिनियम, 1988

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1988]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह 1 जून, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उ 0 प्र 0 अधिनियम -2- उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, संख्या 23 सन् 1980 की धारा 5 में, शब्द "पैंतीस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "अड़तीस हजार पांच सौ रुपये" 1980 की धारा 5 रख दिये जायेंगे।
का संशोधन

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 1943 (2) /XVII-V-1-1 (KA) 22-1988

Dated Lucknow, October 14, 1988

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhayan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1988 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 1988) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 14, 1988.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 1988

(U.P. ACT NO. 17 OF 1988)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows:

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1988.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 1, 1988.

Amendment of section 5 of U.P. Act no. 23. of 1980

2. In section 5 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, for the words "thirty-five thousand rupees" the words "thirty-eight thousand five hundred rupees" shall be substituted.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.